दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 13 दिसंबर, 2013
निर्णीत : 09 जनवरी, 2014

आप.अ.397/2001

रविंदर कुमार .....अपीलार्थी

द्वारा : श्री अनिल अग्रवाल, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री.लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी.गर्ग

न्या. एस.पी.गर्ग

1. रविन्द्र कुमार (अपीलकर्ता) ने सत्र मामला संख्या 50/2000 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश के दिनांकित 02.05.2001 के निर्णय को आक्षेपित किया है, जो प्राथमिकी संख्या 184/96, पुलिस थाना आनंद विहार से उत्पन्न हुआ था, जिसके द्वारा उसे भा.दं.स. की धारा 307 के तहत दंडनीय

अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और दिनांकित 04.05.2001 के सजा पर आदेश द्वारा उसे 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

2. अपीलार्थी के विरुद्ध अभिकथन था कि दिनाँक 16.08.1996 को सायं 08.45 बजे से 09.00 बजे के मध्य मकान संख्या 381, कड़कड़डूमा में उसने हत्या करने के प्रयास में हुकम सिंह को चाकू से घायल कर दिया। यह घटना रात्रि लगभग 09.00 बजे घटित हुई। पीड़ित हुकम सिंह को घटनास्थल से जी.टी.बी. अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-5/क) ने मरीज के आगमन का समय रात्रि 09.30 बजे दर्ज किया है। घटना के संबंध में दैनिक डायरी (डी.डी.) संख्या 14 दर्ज की गई। अभि.स.-21 (निरीक्षक संजय सिंह) घटनास्थल पर गए और हुकम सिंह का बयान दर्ज किया (प्र.अभि.स.-1/क); पृष्ठांकन किया (प्र.अभि.स.-21/क) तथा रात्रि 11.55 बजे प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई देरी नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने अपने बयान (प्र.अभि.स.-1/क) में घटना का विस्तृत विवरण दिया और रविंदर कुमार पर चाकू से छाती के बाएं हिस्से पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। उसने यह भी बताया कि चोट पहुँचाने का अपीलार्थी का क्या उद्देश्य है | चूंकि शिकायतकर्ता ने शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध अवसर पर अपीलार्थी का नाम लिया था, इसलिए कम अंतराल में झूठी कहानी गढ़ने की संभावना कम थी। अभि.स.-1 के रूप में पेश होते हुए शिकायतकर्ता हुकम सिंह ने पुलिस

को पहली बार दिए गए बयान को बिना किसी बदलाव के साबित कर दिया। उन्होंने स्वमं को चोट पहुँचाने के लिए रविंदर कुमार को नामित किया जब उन्होंने पुष्पा शर्मा अपनी किराएदार मकान संख्या 271 को रविंदर कुमार द्वारा गाली देने का विरोध किया। प्रतिपरीक्षा में पीड़िता के समक्ष विशेष रूप से यह सुझाव रखा गया कि "अभियुक्त को उक्त महिला के साथ दुर्व्यवहार करने से रोकने के पश्चात, वह (शिकायतकर्ता) अपने घर वापस नहीं लौटा या सड़क पर ही रहा या उसने जानबूझकर सड़क पर अभियुक्त के साथ झगड़ा किया और चोटें खायीं"। घटनास्थल पर अभियुक्त की मौजूदगी से इनकार नहीं किया गया। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि झगड़े में अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को चोटें क्यों पहुंचाईं। साक्षी द्वारा बताए गए तथ्यों, जिसमें चोटों के कारण होने वाली घटनाओं का क्रम शामिल है, को प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई। पड़ोस के एक निष्पक्ष गवाह अभि.स.-2 (कृष्ण लाल) ने शिकायतकर्ता का पूरा समर्थन किया और उसके बयान की पूर्ण रूप से पुष्टि की। उन्होंने रविंदर कुमार पर भी आलिप्त किया कि उसने हाथ में धारदार हथियार लेकर शिकायतकर्ता को चोट पहुंचाई। अभि.स.-3 (सोनवती) और अभि.स.-4 (सचिन), पीड़ित की पत्नी और बेटा, जिनकी मौके पर मौजूदगी स्वाभाविक और संभावित थी, ने भी अभियोजन पक्ष के बयान को पुष्ट किया और बिना किसी बड़ी विसंगति के अपना मामला साबित किया। अभि.स.-7 (पुष्पा शर्मा) ने यह भी गवाही दी कि वह अपने मकान मालिक हुकम सिंह के

पास शिकायत दर्ज कराने गई थी, क्योंकि अपीलार्थी उस पर गाली-गलौज करता था, जो उक्त परिसर में एक अन्य किरायेदार उषा से मिलने आता था। किसी भी पूर्व दुश्मनी या दुर्भावना के अभाव में, इन सभी साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वे अपीलार्थी को झूठे आरोप में फंसाएंगे और असली अपराधी को बरी होने देंगे। अभियोजन पक्ष के साक्षी की आंखों देखी गवाही चिकित्सा साक्ष्य के अनुरूप है। अभि.स.-5 (डॉ.आर.दयाल) ने दिनाँक 16.08.1996 को हुकम सिंह की चिकित्सक परीक्षा की और चिकित्सा विधिक मामला (प्र.अभि.स.-5/क) तैयार की। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपराध के हथियार की बरामदगी न होने और अभि.स.-16 (यूसुफ खान) के मुकर जाने के बारे में बताई गई छोटी-मोटी विसंगतियां और विरोधाभास अप्रासंगिक हैं अभिलेख पर साक्ष्य सामने आए हैं कि चोटें तेज धार वाले हथियार से पहुंचाई गई थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैंची थी या चाकू। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि चोटें आकस्मिक प्रकृति की थीं। इस संबंध में अभि.स.-5 (डॉ.आर.दयाल) से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि अपीलार्थी ही पीड़ित हुकम सिंह को लगी चोटों का कारण था।

3. अगला प्रश्न, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध किया जाता है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है और सजा सुनाई है। भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत मामले को साबित करने

के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने पीड़ित को चोट पहुँचाते समय उसकी मृत्यु का कारण बनने का इरादा किया था या उसे पता था कि उसके द्वारा किए गए कार्य से पीड़ित की मृत्यु हो सकती है एवं यदि अभियुक्त का ऐसा इरादा था अथवा इस तरह के कार्य की जानकारी थी तो अभियुक्त को भा.द.सं. की धारा 307 के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है| इस मामले में, शुरुआती टकराव पुष्पा शर्मा के साथ मकान संख्या 271, कड़कड़डूमा में हुआ था। पुष्पा शर्मा अपने मकान मालिक हुकम सिंह के पास शिकायत दर्ज कराने गईं, जो मकान नंबर 381, कड़कड़डूमा में रहते थे। हुकम सिंह पुष्पा शर्मा के साथ कड़कड़डूमा स्थित मकान नंबर 271 पर पहुंचे और झगड़े में हस्तक्षेप किया। उन्होंने शराब के नशे में धुत अपीलार्थी को बाहर धकेल दिया तथा उसे गालियां न देने की सलाह दी। इससे अपीलार्थी नाराज हो गया और कुछ ही मिनटों के पश्चात वह शिकायतकर्ता के घर 381, कड़कड़डूमा गया और उससे भिड़ गया। शुरूआती दौर में उसने हुकम सिंह को कोई चोट नहीं पहुंचाई। जब पीड़ित ने उसे घर से बाहर धकेला तो अपीलार्थी ने उसकी छाती पर धारदार हथियार से वार कर दिया। उसने पास में खड़े उसकी पत्नी और उसके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया | उसने अपने पास मौजूद धारदार हथियार से बार-बार वार नहीं किया। शिकायतकर्ता और अपीलार्थी के मध्य दुश्मनी का कोई पिछला इतिहास नहीं था। अपराध का हथियार एक साधारण कैंची या कोई नुकीली वस्तु थी जिसकी प्रकृति का अभिनिश्चित नही

की जा सकी। अभि.स.-16 (यूसुफ खान) ने इस बात से इनकार किया कि यह कैंची (अभि.स.1) अपीलार्थी के इशारे पर उसकी दुकान से बरामद की गई थी। वरिष्ठ सर्जन डॉ. राजेश ने चोटों की प्रकृति को 'गंभीर' बताया, जिन्हें विचारण के दौरान परिक्षीत नहीं किया गया था। चिकित्सक विधिक मामले (प्र.अभि.स.-5/क) में चोट की गहराई के बारे में नही बताया गया था। चूंकि विशेष राय उस डॉक्टर के माध्यम से साबित नहीं हुई है जिसने इसे दिया था और यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर उसने वह राय बनाई, इसलिए यह अभिनिर्धारित करना सुरक्षित नहीं है कि अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई चोटें "गंभीर" थीं। जब मरीज को चिकित्सीय परीक्षा के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वह होश में था और उसकी हालत स्थिर थी । अपीलार्थी शराब के नशे में था और हाथापाई में चोट लग गई थी । इन परिस्थितियों में, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किया गया एकमात्र प्रहार मृत्यु कारित करने के घोषित उद्देश्य या इरादे से किया गया था। इस प्रकार, भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती और इसे भा.दं.सं. की धारा 324 में परिवर्तित कर दिया जाता है।

4. अपीलार्थी की दिनांकित 06.12.2010 की नामावली से पता चलता है कि उसने दिनाँक 13.08.2001 तक दस दिनों की छूट प्राप्ति के अलावा छह महीने और पंद्रह दिनों तक कारावास भी भोगा। नामावली से यह भी पता चलता है कि वह किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं था और उसका

अपराध का पूर्ववर्त साफ था। उसका समग्र जेल आचरण संतोषजनक था। वह लगभग पंद्रह वर्षों से विचारण/मुकदमे/अपील की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा हैं। इन गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सजा के आदेश को संशोधित किया गया है और मूल सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। सजा आदेश की अन्य शर्तों को अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है। तथापि, अपीलार्थी को शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये का मुआवजा देना होगा तथा उसे पंद्रह दिनों के अंदर विचारण न्यायालय में जमा करना होगा। विचारण न्यायालय शिकायतकर्ता को मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

5. अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। अपीलार्थी को सजा की शेष अवधि पूरी करने के लिए दिनाँक 16.01.2014 पर विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय का अभिलेख को तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी.गर्ग)
न्यायाधीश

जनवरी 09,2014/*टीआर*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*